कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 29/08/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 28.08.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना शादियाबाद पुलिस टीम द्वारा शातिर गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 व 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर 01 अदद जिंदा कारतूस.315 बोर व 01 अदद पिकअप मय गोवंश बरामद।

दिनांक 28.08.2025 को अपराध एवम् अपराधियो के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद दौरान ए रात्रि गश्त हंसराजपुर बाजार के पास मौजूद थे एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन हंसराजपुर की तरफ से आता दिखाई दिया रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक द्वारा चढाने का प्रयास करते हुए यूसुफ़पुर खड़वा की तरफ भागने लगा प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद द्वारा जरिये दूरभाष चौकी प्रभारी हंसराजपुर को सूचना देते हुए संदिग्ध गाड़ी रोकने हेतु बताया गया सीक्रेट हार्ट स्कूल चौराहे के पास खुद को घिरा देख उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से, निशाना लगाकर फायर करने लगा, पुलिस टीम द्वारा आत्मराक्षार्थ में संतुलित फायरिंग की गयी तो उसके बाये पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। जिसे तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जिला सीएचसी मनिहारी गाजीपुर उपचार हेतु सेकंड मोबाइल से भेजा गया।एक अन्य बदमाश अंधेरे के फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता घायल /गिरफ़्तार अभियुक्त-

1 .दिनेश बिंद पुत्र पंचम बिंद ग्राम सहेडी थाना नंदगंज जनपद गाज़ीपुर

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 84/25धारा 3/5/5A/8/गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानिया जनपद ग़ाज़ीपुर

2.मु0अ0सं0 277/25धारा 109(1) BNS 3/5/5A/8/गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शादियाबाद जनपद ग़ाज़ीपुर

3. मु0अ0स0 84/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 थाना कोतवाली जनपद चंदौली।

बरामदगी-

1. एक अदद अवैध तमंचा.315 बोर
2. एक अदद जिंदा कारतूस.315 बोर
3. एक अदद खोखा कारतूस . 315बोर
4. एक अदद पिकअप वाहन
5. गो वंश 08 राशि

2. महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अलग हुए 01 परिवारों की कराई गई विदाई।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 28.08.2025 को महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केन्द्र गाजीपुर में पति-पत्नी के विवाद से सम्बन्धित कुल 14 प्रकरण को सुना गया। जिसमें काफी समय से विवादित चल रहे 01 प्रकरण में दोनों पक्षो को बैठाकर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भुलाकर विदाई करायी गयी। 07 प्रकरण में मध्यस्थता विफल होने के कारण विधिक कार्यवाही का सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई एवं 03 परिवारिक विवाद में कुशलता प्रकट होने के बाद पत्रावली बंद कर दी गई। शेष परिवारिक विवाद में मध्यस्थता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई। इन सभी प्रकरण के निस्तारण में काउंसलर कमरूद्दीन, विक्रमादित्य मिश्र,महिला आरक्षी सोनाली,महिला आरक्षी अभिलाषा ,आरक्षी शिव शंकर यादव,महिला होमगार्ड उर्मिला गिरी आदि लोग प्रमुख थे।

3. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 203/25 धारा 191(2),191(3),109,333,61(2),105 बीएनएस में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.08.2025 को थानाध्यक्ष दुल्लहपुर मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 203/25 धारा 191(2),191(3),109,333,61(2),105 बीएनएस मे वांछित चल रहे वांछित चल रहे अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जित्तू को विथरिया नहर पुलिया के पास से किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. जितेन्द्र उर्फ जित्तू पुत्र चन्द्रजीत यादव नि0 ग्राम सुल्तानपुर थाना दुल्लहपुर गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0203/25 धारा191(2),191(3),109,333,61(2),105 बीएनएस थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

4. थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा द्वारा मु०अ०सं० 179/25 धारा 352, 351(3), 81, 61(2) बीएनएस में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.08.2025 को उ0नि0 सतेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पंजीकृत मु०अ०सं० 179/25 धारा 352/351(3)/81/61(2) बीएनएस में वांछित चल रहा अभि० सत्यम राय को मुखबिर खास की सूचना पर थाना गेट राष्ट्रीय राजमार्ग 31(भांवरकोल) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

01. सत्यम राय पुत्र सुरेश चन्द्र राय नि0 ग्राम सोनाड़ी थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर।

अपराधिक इतिहास -

मु०अ०सं० 179/25 धारा 352/351(3)/81/61(2) बीएनएस एक्ट थाना भांवरकोल

5. थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.08.2025 को उ0नि0 तेज कुमार मय हमराह के द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान 01 नफर अभियुक्त को एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ दाढ़ीचक के पास नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 317/2025 धारा-9/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1.पिन्टू प्रजापति पुत्र उमेश प्रजापति नि0 ग्राम परसिया थाना रसड़ा जनपद बलिया

अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 317/2025 धारा-9/25 आर्म्स एक्ट थाना कासिमाबाद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर